श्री राजेश कुमार, भा0प्र0से0, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा की अध्यक्षता में दिनांक 29.03.2025 (शनिवार) को 11:00 बजे पूर्वा0 से प्रमंडलीय सभागार, कोशी प्रमंडल, सहरसा में आयोजित कटाव पीड़ित परिवारों के पुनर्वासन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति– पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

1. **सहरसा जिला :–**

जिलाधिकारी, सहरसा द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सहरसा जिला में पुनर्वासन हेतु कटाव पीड़ित परिवारों की संख्या शून्य है। प्रथम दृष्टिया सहरसा जिला का प्रतिवेदन गलत प्रतीत होता है। समाहर्त्ता, सहरसा इसकी समीक्षा करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।

2. **मधेपुरा जिला :–**

जिलाधिकारी, मधेपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मधेपुरा जिला के आलमनगर अंचल के किशनपुर रतवारा, छतौना टोला तथा ललीया में पुनर्वासन हेतु कटाव पीडित परिवारों की संख्या 36 है, जिसके पुनर्वासन हेतु लीज नीति के तहत भूमि क्रय संबंधी प्रस्ताव विभाग को प्रेषित कर दिया गया है।

आलमनगर अंचल के कपसिया में पुनर्वासन हेतु कटाव पीड़ित परिवारों की संख्या 156 है, जिसके पुनर्वासन हेतु लीज नीति के तहत भूमि क्रय संबंधी प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज से प्राप्त है, जिसकी जाँच की जा रही है। इस संदर्भ में अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर उक्त प्रस्ताव आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आलमनगर अंचल के किशनपुर रतवारा, महेन्द्र मंडल टोला तथा छतौना टोला में पुनर्वासन हेतु कटाव पीड़ित परिवारों की संख्या 116 है, जिसके पुनर्वासन हेतु भूधारियों से सम्पर्क स्थापित कर भूमि की खोज की जा रही है। इस संदर्भ में अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि एक माह के अन्दर उक्त कटाव पीड़ित परिवारों के पुनर्वासन हेतु भूधारियों से सम्पर्क स्थापित कर भूमि चिह्नित कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. **सुपौल जिला :–**

जिलाधिकारी, सुपौल द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इनके द्वारा वर्ष 2024–25 से पूर्व का प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि प्रतिवेदन सतही तौर पर तैयार नहीं किया गया है। बैठक में उपस्थित पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, सुपौल तथा संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से जाँच करवाकर तीन सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसकी समीक्षा तीन सप्ताह के बाद पुनः की जायेगी।

समाहर्त्ता, सहरसा/सुपौल/मधेपुरा को निदेशित किया जाता है कि शत् प्रतिशत कटाव के मामलों का प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। विस्थापित परिवारों को सरकारी प्रावधान के अनुसार जमीन के साथ–साथ आवास योजना, शौचालय आदि का लाभ देने हेतु समानांतर कार्रवाई की जाय। विस्थापित परिवारों को यथाशीघ्र उचित स्थल पर पुनर्वासित करते हुए अन्य सुविधाएं मुहैया कराना राजस्व पदाधिकारियों का मूल दायित्व है इसका ध्यान रखा जाय।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह0/–
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक–1657 / सहरसा, दिनांक–01-4-2025

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, सहरसा/मधेपुरा/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता/ अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, सहरसा/मधेपुरा/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/4/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

Scanned with OKEN Scanner